



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31082026-275865
CG-DL-W-31082026-275865

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, अगस्त 23—अगस्त 29, 2026, शनिवार/ भाद्र 1—भाद्र 7, 1948
No. 12] NEW DELHI, AUGUST 23—AUGUST 29, 2026, SATURDAY/ BHADRA 1—BHADRA 7, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.नि.आ. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कैटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, समूह 'ग' (अनौद्योगिक और औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 1991 को जहाँ तक उनका संबंध अधीक्षक और चयन श्रेणी लिपिक/सहायक लेखाकार के पदों से संबंधित हैं, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, कैटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, कैटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यालय अधीक्षक .	129* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-6 (₹35,400 – ₹1,12,400)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (₹25,500 – ₹81,100) में जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है; और प्रशासन, स्थापना और लेखा संबंधी विषयों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पणी:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी, जो- (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में समतुल्य या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹29,200 – ₹92,300) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में समतुल्य या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹25,500 – ₹81,100) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री हो;

		(ii) रोकड़ या लेखा या स्थापना कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो। टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
(1) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1 संयुक्त महाप्रबंधक और उपाध्यक्ष, प्रशासन बोर्ड - अध्यक्ष; 2 उप महानिदेशक कैंटीन सेवाएँ और सचिव, नियंत्रणबोर्ड कैंटीन सेवाएं, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय - सदस्य; 3 उप वित्तीय सलाहकार (क्यू.) रक्षा विभाग का उप सचिव, - सदस्य; और 4 उप महाप्रबंधक (कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट कैडर) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(2) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1 संयुक्त महाप्रबंधक और उपाध्यक्ष, प्रशासन बोर्ड - अध्यक्ष; 2 उप महानिदेशक कैंटीन सेवाएँ और सचिव, नियंत्रणबोर्ड कैंटीन सेवाएं , - सदस्य;	

रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय	
3 उप वित्तीय सलाहकार (क्यू) रक्षा विभाग का उप सचिव,	- सदस्य; और
4 उप महाप्रबंधक (कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट कैडर)	- सदस्य।

[फा.सं. 1(03)/2022/D(CSD)/भाग-I]

एम. पी. हरिनारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th AUGUST, 2026

S.R.O. 24.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Canteen Stores Department, Group ‘C’ (non-industrial and industrial) posts Recruitment Rules, 1991, in so far as they relate to the post of Superintendent and Selection Grade Clerk/Assistant Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent, in the Canteen Stores Department, Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Canteen Stores Department, Office Superintendent (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Numbers of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of the rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Clases, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Office Superintendent.	129* (2026) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted (Ministerial).	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-1,12,400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by eputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by deputation.	Promotion: Upper Division Clerk in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) with ten years regular in the grade and having successfully completed training of two weeks in administration, establishment and accounts matter. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (a) Officers of the Central Government or State Government or Union territories. (i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) With ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor degree from a recognised University or Institute; (ii) two years experience in cash or accounts or establishment work. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment

			in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six as on the last date of receipt of applications.
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
(1) Departmental Promotion Committee (for considering the promotion) consisting of :- 1 Joint General Manager and Vice Chairman, Board of Administration - Chairman; 2 Deputy Director General Canteen Services and Secretary Board of Control Canteen Services, Integrated Headquarter of Ministry of Defence - Member; 3 Deputy Financial Advisor (Q)/Deputy Secretary Department of Defence Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary. - Member; and 4 Deputy General Manager (Canteen Stores Department Cadre) - Member. (2) Departmental Confirmation Committee (for considering the confirmation) consisting of :- 1 Joint General Manager and Vice Chairman, Board of Administration - Chairman; 2 Deputy Director General Canteen Services and Secretary Board of Control Canteen Services, Integrated Headquarter of Ministry of Defence - Member; 3 Deputy Financial Advisor (Q)/Deputy Secretary Department of Defence - Member; and 4 Deputy General Manager (Canteen Stores Department Cadre) - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 1(03)/2022/D(CSD)/Part-I]

M.P . HARINARAYANAN, Under Secy.